

निवचिन विभाग

राजस्थान

लोक सभा चुनाव

2019

Updated By: DLMT Team

AJMER

www.rajteachers.com

POSTAL BALLOT (PB) **ELECTION DUTY** CERTIFICATE (EDC)

डाक दवारा मतदान के लिए अधिकृत मतदाता

निर्वाचन नियमावली में सम्बन्धित प्रावधान

Sec.20 of RP Act, 1950 – Definition of Ordinary Resident Sec. 60 of RP Act., 1951 – Special provisions for certain classes of voters

Rule. 17, 18(a)&(c), 20-21 & 27B of CE Rules, 1961

निम्न मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग डाक मतपत्र द्वारा कर सकेंगे

- सेवा नियोजित मतदाता (पत्नी सिहत), प्रोक्सी दवारा मताधिकार का उपयोग करने के लिए अधिकृत मतदातों के अतिरिक्त(as defined in Rule 27M of CE Rules 1961)
- ♣ विशेष मतदाता(पत्नी सिहत) जो घोषित कार्यालय के अधिकारी हैं [इनकी सूची Sec. 20 of RP Act, 1950 के फुटनोट के नीचे दी गई है].
- वे मतदाता जिन्हें किसी नियम के अंतर्गत preventive detention में रखा गया है।

Contd...

- मतदान ड्यूटी पर कर्तव्यारूढ़ मतदाता- इनमें शामिल हैं
 पीठासीन अधिकारी /मतदान अधिकारी ड्यूटी पर तैनात राज्य
 पुलिस कार्मिक पर्यवेक्षक व इनके साथ संलिप्त अन्य कार्मिक
 माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव कार्य से जुड़े अन्य कार्मिक जैसे
 विडियोग्राफर expenditure monitoring team का स्टाफ,
 control roomमें कार्यरत स्टाफ, helpline staff, सामग्री
 वितरण व पावती में संलग्न स्टाफ, EVM कार्मिक, BLOs, वाहनों
 के Drivers/Helpers आदि.
- अधिसूचित मतदाता विशेष परिस्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मतदाता
- By ECI under Sec. 60 (c) of RP Act 1951.

डाक मतपत्र का प्रारूप

Design of postal ballot papers (PB) (ECI direction under R.22 of CE Rules, 1961 reproduced in ROs handbook):-

- √ इसमें सबसे ऊपर प्रतिपर्ण केवल अंग्रेजी में छपा होता है
- √ विधानसभा चुनाव हेतु इसका रंग गुलाबी होगा
- √ इसकी चौड़ाई 4" से 6" तक होगी .

Contd...

- उम्मीदवारों की संख्या 9 होने तक ये एक कॉलम का होगा
- डाक मतपत्र राज्य की राजकीय भाषा व अंग्रेजी भाषा में छपा होता है
- उम्मीदवारों के नाम प्रारूप 7 क के क्रमानुसार होंगे उम्मीदवार का फोटो होता है
- सर्विस वोटर के लिए डाक मतपत्रों पर चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा बल्कि राजनैतिक पार्टी का नाम अंकित होगा निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए निर्दलीय अंकित होगा
- शेष डाक मत पत्रों पर चुनाव चिन्ह अंकित होता है

POSTAL BALLOT

- प्रत्येक मतदान कार्मिक को उसकी गृह विधानसभा / जहां वह पंजीकृत मतदाता है नियुक्त नहीं किया जाएगा, अतएव प्रत्येक कार्मिक को अपना प्रपत्र—12 भरकर पूर्ण प्रक्रिया को समझ कर पोस्टल बैलट अधिकार का उपयोग करना चाहिए
- प्रशिक्षण सत्र के बाद डाक मतपत्र से आपको अपना वोट वहीं पर बनाये गये पृथक बूथ (FacilitationCenter) पर आवश्यक रूप से देना है।

Form no 12

FORM OF APPLICATION FOR POSTAL BALLOT

The Returning Offic	er,		

•			
1,	************		
son/daughter/wife	of		an
elector	bearing	serial	number
	of	(/	Address), in
part		of the elector	ral roll of the
electoral area			(name of
electoral area) of co	onstituency		(Number and
name of Constituen	cy), intend to cas	t my vote by postal ball	ot.
Please send	me a postal b	allot with the requisite	envelopes as
required by sub-se	ction (3) of sect	tion 29 of the Repres	entation of the
People Act, 1976,	(LXXXV of 197	76) at the following add	ress: -

		Signature of the ap	nolicant
		N.I.C.	phoant
		No	
FORWARDED.			

(Signature and seal of Head of office/Department)

POSTAL BALLOT

आवश्यक प्रपत्र

व



पोस्टल बैलेट के लिए आवश्यक प्रपत्र

- 1. Letter of Intimation to RO (Form 12) (Application for PB)
- 2. A declaration in the form 13-A
- 3. Postal Ballot Paper
- 4. A cover in form 13-B (Cover-A)(Postal Ballot Paper to be kept in this cover by the elector)
- 4. A large cover addressed to the RO in form 13-C (Cover-B)
- 5. Instruction for the guidance of the service elector in form 13-D

डाक मतपत्रों को जारी करना

- (i) PB को पंजीकृत डाक द्वारा, विशेष मतदाताओं को (फॉर्म 12 में आवेदन पर) भेजा जाएगा: -
 - (a) फॉर्म में घोषणा का प्रारूप 13-A।
 - (b) फॉर्म 13-B में एक कवर (पोस्टल बैलेट पेपर से युक्त)
 - (c) फॉर्म 13-C में आरओ को संबोधित एक कवर (डाक टिकट के बिना)
 - (d) निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए निर्देश फॉर्म 13-D।

- (ii) उपरोक्त दस्तावेजों [पर (A), (B), (C) और (D)] को एक बड़े कवर के अंदर रखा जाएगा। इस कवर को ठीक सें संबोधित किया जाना चाहिए और डाक टिकट को चिपका दिया जाएगा।
- (iii) PB को डाक द्वारा भेजने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से एक विशेष मतदाता तक पहुँचाया जा सकता है।
- (iv) डाक मतपत्र यथाशीघ्र जारी किए जाएं।
- (v) महिला मतदाता के मामले में फॉर्म 13-C में कवर पर " W" लिखें।

चुनाव ड्यूटी पर कार्मिकों के मामलों में --

- प्रशासन चुनाव के पूर्व सम्बन्धित विभागों से सूची प्राप्त कर कार्मिकों का एक डाटा बेस तैयार करता है जिसमें कार्मिक का नाम, निवास स्थान का पता, मतदाता सूची की भाग संख्या, क्रम संख्या, EPICनम्बर, मतदान केंद्र का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम आदि सूचनाएं होती हैं यह सूची CEO/DEO को भेजी जाती है
- सम्बन्धित विभाग से सुचना अपूर्ण प्राप्त होने पर RO इसे पूर्ण करते है
- चुनाव ड्यूटी लगाए जाने पर RO सोफ्टवेयर की सहायता से प्रपत्र 12 तैयार कर सम्बन्धित कार्मिक को प्रथम प्रशिक्षण के समय उपलब्ध कराते हैं

Voters on election duty –

- मतदान अधिकारियों को डाक मतपत्र द्वितीय प्रशिक्षण के समय उनकी पहचान सुनिश्चित किये जाने के पश्चात वितरित किये जाते हैं
- सभी प्रशिक्षण सत्रों के समय एक सुविधा केंद्र की स्थापना की जाती है जहां एक ड्राप बोक्स भी रखा जाता है जिसमें डाक मतपत्र मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात डाले जा सकते हैं
- इन सुविधा केन्द्रों पर एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है जो प्रारूप 13 क का सत्यापन कर उसे प्रमाणित भी करते हैं

(Kindly see Commission's instructions No. 52/2012/SDR, dated 13/08/2012)

Voters on election duty –

- प्रशिक्षण सत्रों में डाक मतपत्रों को दिए जाने की विधि भी कार्मिकों को बताई जानी चाहिए व इस हेतु उन्हें पर्याप्त समय भी प्रशिक्षण सत्रों में दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग भी कर सकें
- डाक मतपत्रों को एकत्र करने के लिए एक मतदान बॉक्स (ड्राप बोक्स)भी रखा जाना चाहिए

(Kindly see Commission's instructions No. 52/2012/SDR, dated 13/08/2012)

ड्राइवर कंडक्टर और क्लीनर हेतू डाक मतपत्र

- जिला निर्वाचन अधिकारी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो चुनाव कार्य हेतु वाहनों का अधिग्रहण करेंगे.
- नोडल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे इन कार्मिकों को डाक मतपत्र जारी करने हेतु आवश्यक सुचना एकत्र करें
- इन सभी कार्मिकों को डाक मतपत्र जारी किये जायेंगे
- ड्राइवर कंडक्टर और क्लीनर चुनाव ड्यूटी के समय EPIC कार्ड अपने साथ रखेंगे
- एक प्रशिक्षित अधिकारी को मतदाताओं की सहायता हेतु नियुक्त किया जायेगा
- उपरोक्त कार्मिक यदि चाहें तो स्वयं भी इस कार्य को कर सकेंगे

Contd...

- DEO द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी प्रपत्र 12 भर कर सम्बन्धित RO तक 7 दिन पूर्व पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे जिससे इन्हें डाक मतपत्र जारी किया जा सके
- चिन्हित मतदाता सूची में इस बाबत समुचित प्रविष्टि भी की जाएगी

(Kindly see Commission's instructions No. 52/2012/SDR, dated 13/08/2012)

POSTAL BALLOT

fofHkUu izdkj ds izk:i

Form 13A

DECLARATION BY ELECTOR.

Election to the"...........
(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number has been issued at the

above election.	
Date	
	Signature of elector. Address
Atte	station of signature
	(elector) who** is personally known to me/has been identified to
	Signature of Attesting Officer.
Signature of identifier, if any Designation	
Address	Address
(This side is to be used	when the elector cannot sign himself)
	ne postal ballot paper bearing serial numberhas been issued at the
above election. Date	Signature of Attesting Officer on behalf of elector. Address of Elector
1	
l .	CERTIFICATE
I hereby certify that—	
is personally known to me; (2) I am satisfied that the elector** is illiter himself or sign his declaration; (3) I was requested by him to mark the ballot pa	own to me/has been identified to my satisfaction by(identifier) who nate/suffers from(infinity) and is unable to record his vote oper and to sign the above declaration on his behalf; and ration signed by me on his behalf in his presence and in accordance with
	Signature of Attesting Officer
Signature of identifier, if any	Designation
Address	Address Date
*Here insert one of the following alternatives as may be ap-	propriate:—
(1) House of the People from the constitute (2) Legislative Assembly from the constitute (3) Council of States by the elected members of	eticy.

- (4) Council of States by the members of the electoral college of.......(Union territory).
- (5) Legislative Council by the members of the Legislative Assembly.
 (6) Legislative Council from the...... constituency.
- **Strike off the inappropriate alternative.

Address Cover in Form 13B

	FORM 13B [See rule 23(1)(b)] ¹ [Cover A]
COVER 'A'	NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING ELECTION
	to the*
	POSTAL BALLOT PAPER
	Serial number of ballot paper

Address Cover in form 13 C

FORM 13C [See rule 23(1)(c)]		
¹ [Cover B]		
(To be used at an election to the House of People for the Legislative Assembly of a State)		
COVER ["Every officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery to the addressee without delay—Rule 23(4) of the conduct of Elections Rules, 1961"]		
ELECTION-IMMEDIATE		
POSTAL BALLOT PAPER		
For* Constituency		
(NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)		
To The Returning Officer Signature** of sender		
*Returning Officer to insert here the name of the appropriate Parliamentary/Assembly Constituency. **Returning Officer to mention here his full postal address. 2[***Strike off in the case of an elector who is employed under the Government of India in a post outside India.]		
I. Subs. by Notiffs. No. S.O. 565(E), dated the the Opposit in Series SP		

डाक मतपत्र की द्वितीय प्रति जारी करना

डाक मतपत्र की द्वितीय प्रति भी निम्न स्थितियों में जारी की जा सकती है -

- यदि यह अवितरित लौट जाता है
- •यदि मतदाता असावधानीवश इसे इस प्रकार क्षतिग्रस्त कर देता है कि इसे उपयोग किया जाना सम्भव नहीं हो .
- •द्वितीय प्रति जारी करने की स्थिति में RO क्षतिग्रस्त मतपत्र को मुहरबंद कर सुरक्षित रखा जाएगा
- •प्रतिदिन एक पदाभिहित अधिकारी डाक मतपत्रों को एकत्र करेगा और इसका एक रजिस्टर संधारित होगा
- •यह रजिस्टर और डाक मतपत्रों के सील्ड लिफाफे 13 क को तालाबंद कर सुरक्षित रखा जाता है
- •इसमें की गयी प्रविष्टियाँ RO /ARO द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेंगी .
- •मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त सभी डाक मतपत्र समय पर प्राप्त माने जायेंगे .

डाक मतपत्रों के लौटने पर की जाने वाली कार्यवाही

- मतगणना प्रारम्भ होने के पश्चात प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को मतगणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा इन मतपत्रों का प्राप्ति समय और दिनांक भी अंकित किया जाएगा इन सभी प्रविष्टियों को प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जाएगा
- इन निरस्त डाक मतपत्रों की प्रविष्टि प्रपत्र 20 और 21 क में भी नहीं की जायेगी
- डाक मतपत्रों के शीघ्र और त्वरित निस्तारण हेतु RO कार्यालय में एक सीलबंद बॉक्स रखा जाएगा जिससे मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद मतपत्र को इस बॉक्स में डाल सकेंगे

PB निम्न स्थितियों में निरस्त होंगे

- कोई एसा चिन्ह लगा हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके.
- > यदि मत नहीं दिया गया हो
- > एक से अधिक उम्मीदवार को मत दिया गया हो
- मत इस प्रकार दिया गया हो कि यह सुनिश्चित न किया जा सके कि मत किसे दिया गया है
- > यदि मत जाली हो
- यदि मत प्रारूप 13 ख के लिफ़ाफ़े के अन्दर न रख कर बाहर घोषणा पत्र के साथ रखा गया हो

PB निम्न स्थितियों में निरस्त नहीं होंगे

- यदि एक ही उम्मीदवार के नाम के आगे दो या अधिक बार चिन्ह लगाया गया हो तो यह मत निरस्त नहीं होगा
- मत देने हेतु आयोग ने कोई नियत चिन्ह निर्धारित नहीं किया है अत:
- मतदाता द्वारा लगाया गया कोई भी चिन्ह वैध होगा किन्तु
- यह चिन्ह इस प्रकार का न हो कि मतदाता की पहचान हो जाए

- चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी अपना मतदान EDC के माध्यम से भी कर सकते है।
- EDC के लिए उन्हें फार्म 12A में आवेदन करना होगा जिसे पूर्ण भरकर RO को प्रस्तुत करना होगा।
- RO द्वारा EDC चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी /अधि कारी को 12B में जारी किया जायेगा।

Form 12A: Application for EDC

¹[FORM 12A [See rule 20(2)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE

To	The Returning Officer,	
	Assembly/Parliamentary constituency.	
Sir,		
People	I intend to cast my vote in person at the ensuing election to the Legislative Assembly/House of the from theconstituency.	ð
	I have been posted on election duty within the constituency at (No. and name of the polybut my name is entered at Serial No	_
station	I request that an Election Duty Certificate in Form 12B may be issued to enable me to vote at the polling where I may be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following address:—	
Place	Yours faithfull	v.
Date 0-04-20		
20-04-20	CEO, Gujarat:: SP www.rajteachers.com	- 30

Form 12B: Election Duty Certificate

F(ΩR	M	12	^{2}B
				_

[See rules 20(2) and 35A]

ELECTION DUTY CERTIFICATE

number beingthat by reas	son of his being on election duty he is u e is therefore hereby authorised to vo	rliamentary constituency, his electoral rol nable to vote at the polling station where te at any polling station ² [in the said
Place		Signature
	SEAL	Returning Officer.

1. Subs. by Notifn. No. S.O. 565(E), dated the 4th August, 1984.

Ins., ibid.

 ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों के नाम के आगे उनके मतदान केन्द्र की वॉटर लिस्ट में EDC लाल पैन से अंकित किया जायेगा और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 12A में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है वहां वोट नहीं डाल पायेगें जहां उनका नाम पंजीकृत है। अपितु EDC द्वारा जहां उनकी ड्यूटी लगी है वहां अपना मतदान करेगें।

- EDC धारक मतदाता द्वारा EDC प्रमाण पत्र पेश करने पर पीठासीन अधिकारी EDC पेश करने वाले के हस्ताक्षर EDC पर अभिप्राप्त करेगें।
- EDC में अकिंत निर्वाचक का नाम व भाग संख्या, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में अंकित करेगा।
- तत् पश्चात उस मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाताओं की तरह मत अकिंत करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

• पीठासीन अधिकारी पॉलिंग एजेन्टस को EDC द्वारा मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगें और उन्हें जितने EDC उस पॉलिंग बूथ के लिये जारी किये गये है कि जानकारी देगें।

- द्वितीय मतदान अधिकारी EDC द्वारा मतदान करने वाले अधिकारियों के लिये 17क रजिस्टार के द्वितीय कॉलम में उनका क्रमांक भाग संख्या और एसेम्बली क्षेत्र का नाम लिखेगें।
- मान लीजिये की अधिकारी का नाम XYZ निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या 25 व क्रमांक 415 पर है तो इसे 17क रजिस्टर के द्वितीय कॉलाम में 415/25/XYZ लिखा जायेगा।

- 17क रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में EDC Voter लिखा जायेगा।
- EDC द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया पॉलिंग ए जेन्ट की उपस्थिति में ही की जायेगी।



THANKS